भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2610

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

कौशल विकास योजना की विशेषताएं और लक्ष्य

2610. श्री दिलीप शइकीया: श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल विकास योजना की विशेषताओं और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत युवाओं को किन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत देश में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या कितनी है तथा इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों तथा असम सहित देश के आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना

(एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), असम और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल विकास प्रदान करने के लिए है।

(ii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के गैर-साक्षर, नव-साक्षर और 8वीं कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षु को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

(iv) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई आर्थिक क्षेत्रों को कवर करने वाले व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

एमएसडीई की कौशल विकास योजनाएँ माँग आधारित हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन सभी के लिए खुली हैं। लाभार्थियों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए जाते हैं। विगत पांच वर्षों (2024-25 तक) के दौरान छत्तीसगढ़

राज्य सहित भारत में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): एमएसडीई के सामान्य लागत मानदंडों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले आदि जैसे विशेष क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित आधार लागत के अलावा, विशेष क्षेत्रों में आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आधार लागत के 10% के बराबर अतिरिक्त राशि की अनुमति है। कौशल विकास कार्यक्रम में विशेष क्षेत्रों के उम्मीदवारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन लागत, भोजन तथा आवास और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, एमएसडीई ने प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 48 जिलों में 48 आईटीआई की स्थापना और संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने (एसआईआईटी) योजना के तहत असम राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 22 मौजूदा आईटीआई को अपग्रेड करने का समर्थन किया।

अनुबंध

'कौशल विकास योजना की विशेषताएं और लक्ष्य' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर दिए जाने लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत पांच वर्षों के दौरान एमएसडीई की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या

राज्य	पीएमकेवीवाई वर्ष 2020-21 से 2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक)	जेएसएस वर्ष 2020-21 से 2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक)	एनएपीएस वर्ष 2020-21 से 2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक)	सीटीएस सत्र वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक
अंडमान और निकोबार	3904	5,440	234	2,522
आंध्र प्रदेश	117822	55,528	77507	2,49,696
अरुणाचल प्रदेश	74929	0	192	3,047
असम	71428	45,401	39820	18,548
बिहार	179727	1,65,517	23817	5,43,791
चंडीगढ़	6096	7,470	4609	4,699
छत्तीसगढ	38369	1,03,431	19554	1,08,764
दिल्ली	97248	27,833	77629	46,730
गोवा	2908	8,644	32633	9,931
गुजरात	109968	81,956	368889	4,19,260
हरियाणा	109238	37,231	265588	2,56,663
हिमाचल प्रदेश	49635	66,424	32979	1,06,586
जम्मू एवं कश्मीर	193403	7,890	3846	36,637
झारखंड	63783	76,443	43366	1,64,525
कर्नाटक	97654	1,01,121	281074	3,45,878
केरल	67288	81,540	53843	1,70,289
लद्दाख	1901	812	165	1,134
लक्षद्वीप	330	3,713	44	1,718
मध्य प्रदेश	198240	2,53,732	94886	3,50,097
महाराष्ट्र	90034	1,84,774	923208	5,76,628
मणिपुर	44989	33,106	335	1,750

मेघालय	31948	3,840	871	2,986
मिजोरम	26789	5,409	163	1,502
नागालैंड	30145	8,662	84	1,143
ओडिशा	115018	2,22,728	41717	2,75,944
पुदुचेरी	9389	0	9045	3,698
पंजाब	94978	14492	60496	2,11,309
राजस्थान	169116	68,260	69913	5,42,038
सिक्किम	10996	0	1365	1,384
तमिलनाडु	143999	68,876	340998	1,67,081
तेलंगाना	70536	52,941	152710	1,45,463
डीएनएच एवं डीडी	2213	11,070	9085	2,654
त्रिपुरा	57855	14,888	1677	10,075
उत्तर प्रदेश	166113	4,23,398	259809	14,92,538
उत्तराखंड	54460	65,912	73024	50,663
पश्चिम बंगाल	122811	61,442	103292	1,74,341
योग	**27,25,260**	**23,69,924**	**34,68,467**	**65,01,712**

*****